महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2018 / 212353-55 दिनांकः 08.08.2018

कार्यालय ज्ञाप

प्रायाः यह देखने में आ रहा है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का बिना पालन किये हुये अपना त्याग पत्र सीधे विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार नियुक्त होने का काल्पनिक संदर्भ देते हुये अनुमोदन निरस्त किये जाने का भी अनुरोध किया जाता है। प्रबन्धकगण द्वारा भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को सीधे निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में कार्यालयी स्तर पर अनावश्यक रूप से कार्य में वृद्धि होती है। जिसपर कुलपति महोदय द्वारा गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई है एवं निर्देशित किया गया है कि समस्त संबंधित पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली 14.04(1) 3 नियमों का पालन करते हुये दिया त्याग पत्र / निष्कासन संबंधी प्रत्यावेदन पर ही विचार किया जायेगा। शिक्षकों के त्यागपत्र / निष्कासन के संबंध में शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09.05.2000 के प्रस्तर 2(2) में निम्नवत् व्यवस्था दी गई है

"स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्रबन्धकों की नियुक्ति तीन वर्ष अथवा पॉच वर्ष की संविदा पर की जायेगी। संविदा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रबंध तंत्र द्वारा फिर से चयन की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर पूर्व से कार्यरत व्यक्ति के नाम पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। इन महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षक संस्था के प्रबन्ध तंत्र को तीन माह का नोटिस देकर सेवा का त्यागपत्र दे सकता है। परन्तु यदि शिक्षक को सेवा से हटा सकते है परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति में कुलपति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

अतः समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार ही त्यागपत्र / पदच्युत संबंधी की गई कार्यवाहियों पर ही विचार किया जायेगा। नियम विरूद्ध प्रेषित निष्कासन संबंधी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन / त्यागपत्र पर किसी भी प्रकार की गई कार्यवाही का संज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिया जायेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त अनुमोदित शिक्षकगण / प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. प्रभारी बेवसाइट।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव